तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.12.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अ०सं० 8/1, 8/3, 8/4 अनुपस्थित। तीन बार आवाज लगायी गयी, अनुपस्थित रहे। अतः अ०सं० 8/1, 8/3, 8/4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अ०सं० 9 का जवाब अवसर बन्द किया जाता है। बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र धारा 212 R.T. Act दि० 22/01/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी [illegible] झालावाड़ (राज०)	
22/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। बहस प्रा०पत्र u/s 212 RT Act की परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। धारा-212 RT Act की प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिए इसे निम्न 03 बिन्दुओं पर जांचना आवश्यक है — (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :— प्रार्थी० प्रार्थीगण द्वारा बहस प्रा० पत्र के दौरान कथन किया कि ग्राम सांगरिया [illegible] वाडा [illegible] आराजी ख० नं० 1133 [illegible] खातेदार सौदान सिंह [illegible] 0-15 बीघा भारी रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 20/11/1950 क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था और तब से लगातार शांतिपूर्ण कब्जे काश्त चले आ रहे हैं।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:25:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादग्रस्त आराजी मे खातेदार सौडानसिंह का हिस्सा 3/8 दर्ज था लेकिन भूलवश नामान्तरण तस्दीक नहीं होने से जमाबंदी मे विक्रेता सौडानसिंह का नाम दर्ज होने मात्र का अनुचित लाभ उठाकर सौडानसिंह ने अपने शेष हिस्से के साथ साथ उक्त भूमि का हकत्याग दिनांक 06/5/2013 को अपने भाई गोरधनसिंह पुत्र नवरसिंह के पक्ष मे कर दिया जो जरिये नामा० सं० 1268 दिनांक 05/2/2014 से गोरधनसिंह के खाते दर्ज हो गई। गोरधनसिंह के फौत होने पर अप्रार्थीगण वारिसान के नाम दर्ज हो गई। क्रयशुदा भूमि का स्वामित्व व कब्जा प्रार्थीगण के पास होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे है।	
	बहस प्रार्थीगण के परिपेक्ष्य मे प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम सांगरिया के नामा सं० 1268 दिनांक 05/2/2014 के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी ख० नं० 1133 रकबा 2-00 बीघा मे सौडानसिंह पुत्र नरवरसिंह का हिस्सा 3/8 था जिसका हकत्याग गोरधन सिंह के पक्ष मे अन्य खसरा नम्बरान के साथ किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश रजि० विक्रय पत्र दिनांक 20/11/1980 के अनुसार खातेदार सौडान सिंह पुत्र नरवरसिंह द्वारा ख० नं० 1133 मे अपने हिस्से 15 बिस्वा का बेचान प्रार्थीगण के पिता/पति डौलत सिंह को कर कब्जा सौंपना अंकित है। अत: वादग्रस्त भूमि का कब्जा व स्वामित्व प्रार्थीगण के पास होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है।	
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़	(ब) सुविधा का संतुलन :- वादग्रस्त भूमि मे से 15 बिस्वा का वास्तविक title and possession प्रार्थीगण के पक्ष मे है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:25:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

अप्रार्थीगण का नाम मात्र ही जमाबंदी मे दर्ज है। लोडासिंह द्वारा एक बार भूमि का रजि० विक्रय पत्र से दौलतसिंह को बेचान करके व कब्जा सौंपने के बाद कोई हक व अधिकार शेष नही था फिर भी जमाबंदी मे नाम दर्ज होने का लाभ (अनुचित) उठाकर subsequent transfer हकत्याग दिनांक 06/5/2013 करना प्रारम्भ से शून्य व अवैध माना जावेगा। अप्रार्थीगण द्वारा बेचान, रहन की धमकी देना या भूमि को खुर्द-बुर्द करने से सुविधा का संतुलन तुलनात्मक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में है।

(स) अपूरणीय क्षति :- प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण, भूमि के वास्तविक स्वामित्व व कब्जाधारी के अधिकारों का अतिक्रमण कर बेचान या खुर्द बुर्द करते हैं या धमकी देकर प्रार्थीगण को बेदखल करते हैं तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो सकती है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर, रजि० विक्रय पत्र दिनांक 20/11/1980 की कानूनी वैधता पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीगण के प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w. O 39 R 1 & 2 CPC को स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा तादफैसलामूलवाद इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम सांगरिया की आराजी ख० न० 1133 के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति ... अन्तरण नहीं करें। पत्रावली ... नम्बर से दर्ज होकर ... संलग्न हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड [redacted]
पिड़ावा, जिला [redacted] (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:25:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner